तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **संदीप अरोड़ा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/267**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है प्रकरण वर्ष 2021 से कमिपूर्ति में ही विचाराधीन चल रहा है तथा दिनांक 04.04.2022 को अधिवक्ता अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् दिनांक 20.06.2022 को भी अधिवक्ता अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही की गई है और आज दिनांक तक अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही किये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 27/6/23 (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	